



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230946
CG-DL-E-03112021-230946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]
No. 631]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 779(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2021 है।
(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होंगे।
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, खंड (कक) में "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1)के खंड (घ)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 2 के खंड (7)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और उप-नियम (1) के रूप में इस प्रकार पुनर्संख्यांकित किए जाने के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) जब खुदरा बिक्री के लिए आशयित एक या अधिक पैकेज प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव पर खुदरा पैकेज के रूप में बेचे जाने के लिए एक साथ समूहित किए जाते हैं, तो समूह का प्रत्येक पैकेज नियम 6 के उपबंधों का पालन करेगा।"

4. उक्त नियमों में नियम 5 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में नियम 6 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (घ) में, "या पहले से पैक किया गया अथवा आयात किया गया;" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ड.) में, "और रुपयों अथवा पैसों में कीमत" से आरंभ होने वाले, और "(घ) एमआरपी रुपये xx.xx (सभी करों सहित)" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "भारतीय मुद्रा में, " शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(11) इकाई बिक्री मूल्य निम्नलिखित के रूप में घोषित किया जाएगा-

(i) एक किलोग्राम से कम की वस्तु की शुद्ध मात्रा वाली पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए "रु. __ प्रति ग्राम";

(ii) एक किलोग्राम से अधिक या उसके बराबर की वस्तु की शुद्ध मात्रा के साथ पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए "रु. __ प्रति किलोग्राम";

(iii) एक मीटर से कम वस्तु की शुद्ध लंबाई वाली पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए "रु. __ प्रति सेमी";

(iv) एक मीटर से अधिक या उसके बराबर की वस्तु की शुद्ध लंबाई वाली पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए "रु. __ प्रति मीटर";

(v) "रु. __ प्रति संख्या";

(vi) एक लीटर से कम की वस्तु की शुद्ध मात्रा के साथ पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए "रु. __ प्रति मिली लीटर";

(vii) एक लीटर से अधिक या उसके बराबर वस्तु की शुद्ध मात्रा के साथ पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए "रु. __ प्रति लीटर"।

6. उक्त नियमों के नियम 13 में उपनियम (5) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) संख्या द्वारा बेची गई मर्दों के लिए, संख्या या इकाई या टुकड़ा या जोड़ी या सेट या ऐसे अन्य शब्द जो पैक में मात्रा का वर्णन करते हैं, का उल्लेख किया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 18 में,-

(i) उप-नियम (2क) में, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उप-धारा (1) के क्रमशः खंड (ढढढ) और खंड (द)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 2 के खंड (41) और खंड (47)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (7) में, शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों, "मूल्य वर्धित कर (वैट) अथवा टर्न ओवर टैक्स (टीओटी)" के स्थान पर, "वस्तु और सेवा कर" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-10/22/2021]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ) तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना से सा.का.नि. 629 (अ) तारीख 23 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

G.S.R. 779(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act 2009, (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2022.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (aa), for the words, brackets, letters and figures “clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)”, the words, brackets, letters and figures “clause (7) of section 2 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)” shall be substituted.

3. In the said rules, rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) When one or more packages intended for retail sale are grouped together for being sold as a retail package on promotional offer, every package of the group shall comply with provisions of rule 6.”.

4. In the said rules, rule 5 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1),—

(i) in clause (d), the words, “or pre-packed or imported” shall be omitted;

(ii) in clause (e), for the words commencing with “and the price in rupees and paise”, and ending with “(d) MRP Rs. ₹ xx.xx(inclusive of all taxes):”, the words “in Indian currency:” shall be substituted;

(iii) after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(11) The unit sale price shall be declared as—

- (i) “Rs. __ per g” for pre-packaged commodities with net quantity of commodity less than one kilogram;
- (ii) “Rs. __ per kg” for pre-packaged commodities with net quantity of commodity more or equal to one kilogram;
- (iii) “Rs. __ per cm” for pre-packaged commodities with net length of the commodity less than one meter;
- (iv) “Rs. __ per meter” for pre-packaged commodities with net length of the commodity more or equal to one meter;
- (v) “Rs. __ per number”;
- (vi) “Rs. __ per ml” for pre-packaged commodities with net volume of the commodity less than one litre;
- (vii) “Rs. __ per litre” for pre-packaged commodities with net volume of the commodity more or equal to one litre.”.

6. In the said rules, in rule 13, in sub-rule (5), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(ii) for items sold by number, the number or unit or piece or pair or set or such other word which represents the quantity in the package shall be mentioned.”.

7. In the said rules, in rule 18,—

(i) in sub-rule (2A), for the words, brackets, letters and figures, “clause (nnn) and clause (r), respectively of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)”, the words, brackets, letters and figures “clause (41) and (47) of section 2 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (7), for the words, brackets and letters, “Value Added Tax (VAT) or Turn Over Tax (TOT)”, the words, “Goods and Service Tax” shall be substituted.

[F. No. I-10/22/2021]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 202 (E). dated the 7th March, 2011 and last amended *vide* notification number G.S.R. 629 (E). dated the 23rd June, 2017.